रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28, 2017/माघ 8, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 331

No. 28] DELHI, SATURDAY, JANUARY 28, 2017/MAGHA 8, 1938 [N.C.T.D. No. 331

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जनवरी, 2017

सं. ईडी 4(विविध–38)/श्रम–स्था.–1/2016/381.—दिल्ली के उपराज्यपाल के संतुष्ट होने पर, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. एसओ. 217 (ई) के साथ पठित केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण (संरक्षा एवं बिजली सप्लाई से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह उपाय आवश्यक हैं और इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. एफ 01(32)/एम/2001/स्था.–1–श्रम/616 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सक्षमता श्रेणी–I प्रमाण–पत्र (बिजली पर्यवेक्षक)/श्रेणी–II (बिजली मिस्त्री) तथा बिजली ठेकेदार को लाइसेंस प्रदान करने के लिए निम्न शर्तें बनाते हैं, अर्थात् :–

अध्याय – I

सामान्य

1.	**संक्षिप्त भीर्शक एवं प्रारंभ**	(i) ये शर्तें बिजली पर्यवेक्षक, इलैक्ट्रीशियन तथा इलैक्ट्रीकल ठेकेदार, 2016 को लाइसेंस एवं सक्षमता प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए शर्तें कहलाएंगी। (ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। (iii) ये संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगी।
2.	**जारीकर्त्ता प्राधिकरण .–**	बिजली ठेका लाइसेंस तथा सक्षमता के प्रमाण–पत्र सहायक बिजली इंस्पैक्टर द्वारा जारी/नवीनीकृत किए जाएंगे।
3.	**जांच अधिकारी .–**	उप बिजली इंस्पैक्टर अक्षमता, लापरवाही के आरोपों तथा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण (संरक्षा एवं बिजली आपूर्ति) विनियम, 2010 के नियम 29 के

		प्रावधानों के उल्लंघन तथा लाइसेंस एवं प्रमाण–पत्र की शर्तों, मामले के अनुसार या ठेकेदार की ओर से हुए अनाचार की जांच करेगा और ऐसी कार्रवाई करेगा जो उचित समझी जाये।
4.	**अपील .–**	जांच अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील अपर श्रम आयुक्त/मुख्य बिजली इंस्पैक्टर/बिजली इंस्पैक्टर को दायर की जा सकती है, बशर्ते ये आदेश जारी होने के एक माह के अंदर दायर की जाए।

अध्याय – II

इलैक्ट्रीकल ठेकेदार को लाइसेंस तथा सक्षमता श्रेणी–I (इलैक्ट्रीकल पर्यवेक्षक)/श्रेणी– II (इलैक्ट्रीशियन) को लाइसेंस जारी करना

5.	**बिजली के ठेकेदारों को लाइसेंस जारी करना .–**	बिजली ठेके का लाइसेंस उस व्यक्ति या फर्म या कम्पनी को जारी किया जाएगा जो निम्न आवश्यकताओं को पूरा करेगाः– (I) आवेदक दिल्ली का निवासी हो और दिल्ली में कार्यालय परिसर/दुकान हो। (II) आवेदक वचनबंध प्रस्तुत करेगा जिसमें उल्लेख होगा किः– (क) वह बिजली कार्य के निष्पादन के लिए सक्षमता **श्रेणी–I** (बिजली पर्यवेक्षक) तथा धारक या सक्षमता **श्रेणी–II** (बिजली मिस्त्री) के प्रमाण पत्र धारक को नियुक्त/लगाएगा। (ख) वह बिजली संस्थापन कार्य के निष्पादन/जांच के लिए आवश्यक जांच उपकरण उपलब्ध कराएगा।
6.	**बिजली ठेका लाइसेंस प्रदान करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज .–**	कोई व्यक्ति या फर्म या कम्पनी जो बिजली ठेका के व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है उसे निम्न दस्तावेजों के साथ निर्धारित फार्म–ए में विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगाः– (I) दिल्ली में आवास का साक्ष्य अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट या बैंक/ पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक। (II) बिजली कार्य के निष्पादन तथा बिजली संस्थापन कार्य के निष्पादन/जांच के लिए अपेक्षित जांच उपकरणों के लिए सक्षमता **श्रेणी–I** (बिजली पर्यवेक्षक) तथा धारक या सक्षमता **श्रेणी–II** (बिजली मिस्त्री) के प्रमाण–पत्र के धारक के सेवायोजित/तैनात व्यक्ति को वचनबंध देना। (III) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में प्राधिकार पत्र। (IV) खजाना चलान रसीद की मूल प्रति जो ऑनलाइन फीस भुगतान की निर्धारित फीस/रसीद के जमा को दर्शाए।
7.	**बिजली ठेकेदार को लाइसेंस प्रदान करने के लिए समय अवधि .–**	बिजली ठेकेदार को लाइसेंस 7 दिनों के अंदर निर्धारित फार्म–बी में जारी किया जाएगा।

8.	**बिजली ठेकेदार को लाइसेंस प्रदान करने के लिए फीस .–**	बिजली के ठेकेदार को लाइसेंस जारी करने हेतु 5000/–रू0 (पांच हजार रूपये मात्र) की फीस होगी और नामित बैंक/ऑनलाइन ई–पेमेंट में खजाना चलान के माध्यम से भुगतान की जाएगी।
9.	**बिजली के ठेकेदार के लाइसेंस की वैधता .–**	बिजली ठेके का लाइसेंस प्रारंभ में पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।
10.	**बिजली ठेके के लाइसेंस का नवीकरण .–**	बिजली ठेके का लाइसेंस बाद में प्रत्येक दस वर्ष की अवधि पर नवीकरण किया जाएगा।
11.	**बिजली ठेके के लाइसेंस नवीकरण के लिए फीस .–**	बिजली ठेकेदार द्वारा अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए नामित बैंक/ऑनलाइन ई–पेमेंट में खजाना चलान के माध्यम से 2500/–रू0(दो हजार पांस सौ रूपए मात्र) की फीस देनी होगी।
12.	**बिजली ठेकेदार के लाइसेंस का संशोधन .–**	(i) कोई भी लाइसेंसधारी जो अपने व्यवसाय परिसर/शॉप के पते में परिवर्तन तथा अपने लाइसेंस/फर्म/कम्पनी के संविधान में परिवर्तन करने का इच्छुक है तो आवेदन के साथ सहायक बिजली इंस्पैक्टर को अपना लाइसेंस प्रस्तुत करेगा जिसमें संशोधन की प्रकृति तथा उसका कारण का उल्लेख करना होगा। (ii) लाइसेंस के संशोधन की फीस 1000/–रू0 (एक हजार रू0 मात्र) होगी और इसे नामित बैंक/ऑन लाइन ई–पेमेंट में खजाना चालान के माध्यम से दिया जाएगा। (iii) बिजली ठेकेदार के लाइसेंस में कोई भी संशोधन आवेदन पत्र के साथ खजाना चालान/ऑनलाइन ई–पेमेंट की प्राप्ति से 3 दिनों के अंदर किया जाएगा।
13.	**बिजली ठेका लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति जारी करना .–**	इन शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई बिजली ठेका लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति आवेदन के साथ खजाना चलान/ ऑनलाइन ई–पेमेंट तथा पुलिस को दी सूचना की एफआईआर/प्रति की प्राप्ति से 3 दिनों के अंदर जारी की जाएगी। बिजली ठेका लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति जारी करवाने के लिए नामित बैंक/ऑनलाइन ई–पेमेंट में खजाना चलान के माध्यम से 1000/–रू0 की फीस (एक हजार रूपए मात्र) जमा करने होंगे।
14.	**सक्षमता श्रेणी–I (बिजली पर्यवेक्षक) का प्रमाण–पत्र जारी करना.–**	(i) कोई अभ्यर्थी जिसने किसी तकनीकी संस्थान/ पॉलीटेक्नीक/कॉलेज या विश्वविद्यालय जो तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से डिग्री/डिप्लोमा या इसके समतुल्य बिजली इंजीनियरिंग/बिजली तथा इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग/पावर इंजीनियरिंग (बिजली) प्राप्त किया है तथा डिग्री या डिप्लोमा पास करने के बाद निर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण या बिजली संस्थापन की जांच के क्षेत्र में एक वर्ष/तीन वर्ष का अनुभव है तो सक्षमता **श्रेणी–I** (बिजली पर्यवेक्षक) का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का पात्र है। (ii) अभ्यर्थी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
15.	**सक्षमता श्रेणी–I (बिजली पर्यवेक्षक) का प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज .–**	(i) आवेदन निर्धारित फार्म–सी में विधिवत भरा होना चाहिए। (ii) इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा की स्वयं सत्यापित प्रति। (iii) आवास साक्ष्य की स्वयं स्त्यापित प्रति अर्थात् ड्राइविंग

		लाइसेंस/मतदाता कार्ड/बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पास बुक। (iv) अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति। (v) आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति। (vi) पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ। (vii) ऑनलाइन ई–पेमेंट की निर्धारित फीस/प्राप्ति की जमा को दर्शाता खजाना चलान रसीद की मूल प्रति।
16.	**सक्षमता श्रेणी–I (बिजली पर्यवेक्षक) के प्रमाण–पत्र को जारी करने के लिए फीस .–**	सक्षमता **श्रेणी–I** (बिजली पर्यवेक्षक) का प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए नामित बैंक/ऑनलाइन ई–पेमेंट में खजाना चलान के माध्यम से आवेदक द्वारा 1,000/–रू0 की फीस (एक हजार रूपये मात्र) जमा करनी होगी। एक बार जमा की गई फीस किसी भी अभ्यर्थी के लिए किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत वापिस (रिफंड)/समायोजित नहीं होगी।
17.	**सक्षमता श्रेणी–I (बिजली पर्यवेक्षक) का प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए समय अवधि .–**	निर्धारित फार्म–डी में दस्तावेज तथा निर्धारित फीस के साथ आवेदन की प्राप्ति के बाद 7 दिनों के अंदर सक्षमता **श्रेणी–I** (बिजली पर्यवेक्षक) का प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।
18.	**सक्षमता श्रेणी–I (बिजली पर्यवेक्षक) के प्रमाण–पत्र की वैधता .–**	सक्षमता **श्रेणी–I** (बिजली पर्यवेक्षक) का जारी प्रमाण–पत्र आवेदक की 65 वर्ष की आयु तक वैध होगा।
19.	**सक्षमता – I (बिजली पर्यवेक्षक) के डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र को जारी करना .–**	यदि सक्षमता प्रमाण–पत्र गुम हो जाता है तो एफआईआर/पुलिस को सूचना की प्रति तथा दो नए पासपोर्ट फोटोग्राफ तथा ख्जाना चलान/ऑन लाइन ई–पेमेंट की रसीद के साथ लिखित आवेदन की प्राप्ति पर धारक को सक्षमता प्रमाण–पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी की जाएगी। डुप्लीकेट सक्षमता प्रमाण–पत्र जारी करने की फीस 250/–रू0 (दो सौ पचास रूपये मात्र) होगी।
20	**सक्षमता श्रेणी–I (बिजली पर्यवेक्षक) का डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करने की समय अवधि .–**	सक्षमता श्रेणी–I (बिजली पर्यवेक्षक) का डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र 3 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा।
21.	**अन्य राज्यों द्वारा जारी सक्षमता श्रेणी–I (बिजली पर्यवेक्षक) के प्रमाण–पत्र का प्राधिकार .–**	कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारत संघ के किसी राज्य द्वारा जारी बिजली पर्यवेक्षक का प्रमाण–पत्र है, को आवेदक की 65 वर्ष की आयु तक नामित बैंक/ऑन लाइन ई–पेमेंट में खजाना चलान के माध्यम से 1,000/–रू0 की फीस के भुगतान पर अपना प्रमाण–पत्र पृष्ठांकित कराने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिजली पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का पात्र है/अनुमति है (बशर्ते उसके पास शर्त सं0 14 के पैरा–I एवं II में उल्लिखित मानदंड के अनुसार शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव हो)।
22.	**सक्षमता श्रेणी–II (बिजली मिस्त्री) के प्रमाण–पत्र के लिए मानदंड एवं वैधता .–**	कोई व्यक्ति (i)जिसकी आयु 18 वर्ष हो, और (ii) बिजली या वायरमैन के ट्रेड में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी मान्यता प्राप्त आई टी आई पास की हो या आई टी आई से क्राफ्टमैन प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत लाइनमैन या वायरमैन या बिजली या मल्टीस्किल कोर्स के ट्रेड में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अप्रैटिंसशिप एडवाइजर के माध्यम से तीन वर्ष का अप्रैटिंसशिप कोर्स पूरा किया हो (प्रत्येक 2 वर्ष में छह माह की अवधि

		के विशेष मॉडयूलर कोर्स के साथ एक्सीलेंस के बिजली सेक्टर में एक वर्ष का ब्रॉड बेसड प्रशिक्षण कोर्स) सक्षमता श्रेणी–II (बिजली मिस्त्री) के प्रमाण–पत्र के धारक का माना जाएगा। (iii) प्रमाण–पत्र की वैधता – 65 वर्ष की आयु तक होगी।
23.	**सक्षमता श्रेणी– I (बिजली पर्यवेक्षक) तथा श्रेणी– II (बिजली मिस्त्री) के वर्तमान बिजली ठेका लाइसेंस/प्रमाण–पत्र की वैधता .–**	(i) इन शर्तों के लागू होने से पूर्व बिजली ठेकेदार को जारी लाइसेंस इसकी समाप्ति की तिथि तक वैध रहेगा। इसके बाद इन शर्तों के अंतर्गत लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस के नवीकरण हेतु प्रस्ताव कर सकता है। (ii) सक्षमता श्रेणी–I (बिजली पर्यवेक्षक) तथा श्रेणी– II (बिजली मिस्त्री) के प्रमाण–पत्र इन शर्तों के लागू होने से पूर्व इसकी समाप्ति की तिथि तक वैध रहेंगे। इसके बाद, प्रमाण–पत्र धारक 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने प्रमाण–पत्र की वैधता के विस्तार हेतु आवेदन कर सकता है। आगे उपबंध है कि सक्षमता श्रेणी–I (बिजली पर्यवेक्षक) के प्रमाण–पत्र के मामले में प्रमाण–पत्र की वैधता विस्तार के लिए खजाना चलान/ऑनलाइन ई पेमेंट के माध्यम से 1,000/–रू0 (एक हजार रू0 मात्र) की फीस वसूली जाएगी।

नोट :– बिजली ठेकेदार को सक्षमता प्रमाण–पत्र तथा लाइसेंस के ऑनलाइन जमा एवं जारी करने के लिए, संबंधित आवेदक दस्तावेजों एवं फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा जैसाकि ऑनलाइन निर्धारित है और प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

2. उपरोक्त सभी प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वयं सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर जारी होंगे। इन प्रमाण–पत्रों/लाइसेंस को जारी करने के लिए भौतिक सत्यापन/निरीक्षण नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. आर. सी. मीणा, विशेष सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th January, 2017

No. ED4(Misc.-38)/Lab-EI/2016/381.—The Lt. Governor, Delhi being satisfied that this measure is necessary to carry out the purpose of regulation 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 read with Government of India, Ministry of Home Affairs vide notification no. S.O.217(E) dated 20th February, 2004 and in supersession of this Department Notification no. F.1(32)/M/2001/EI-Lab/616 Dated 6th March, 2002 except as respective things done or omitted to be done before such supersession, is pleased to make the following conditions for the grant of Certificate of Competency Class-I (Electrical Supervisor)/ Class-II (Electrician) and Licences to Electrical Contractors in the National Capital Territory of Delhi, as following, namely:-

Chapter-I

General

1. **Short Title and Commencement.-**

(i) These conditions may be called the conditions for the grant of Certificate of Competency to Electrical Supervisor, Electrician and Licences to Electrical Contractors, 2016.

(ii) They shall come into force at once.

(iii) They shall apply to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

2. **Issuing Authority.-** The Electrical Contractor Licence and Certificate of Competency shall be issued/ renewed by the Assistant Electrical Inspector.

3 **Enquiry Officer.-** Dy. Electrical Inspector shall enquire into allegations of incompetence, negligence and breach of the provisions of regulation 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety & Electric Supply) Regulations, 2010, and conditions of the Licence and Certificates, as the case may be, or of malpractices on the part of the Contractors and to take such action as might be deemed proper.

4 **Appeals.-** Appeal against the orders of the Enquiry Officer shall be filed to the Addl. Labour Commissioner/ Chief Electrical Inspector/ Electrical Inspector provided that these are filed within one month of the issuing of the order.

Chapter – II

Issuance of Licence to Electrical Contractors and Certificate of Competency Class-I (Electrical Supervisor)/ Class-II (Electrician)

5 **Grant of Licence to Electrical Contractor's.-** An Electrical Contractor Licence shall be granted to a person or firm or a company who meets the following requirements:-

(I) The applicant should be a resident of Delhi and having office premises/ shop address in Delhi.

(II) The applicant shall submit an undertaking stating that:

(a) He will employ/ engage persons having Certificate of Competency Class-I (Electrical Supervisor) and holder or deemed to be holder of Certificate of Competency Class –II (Electrician) for executing the electrical works.

(b) He will posses necessary testing instruments required for executing/ testing the work of electrical installation.

6 **Documents required for grant of an Electrical Contractor Licence.-** Any person or a firm or company intending to obtain a licence for carrying out the business as an Electrical Contractor shall submit the application duly filled in the prescribed Form-A alongwith the following documents:-

(i) Proof of resident of Delhi i.e. Driving Licence/ Voter Card/ Aadhaar Card/ Passport or passbook issued by Bank/ Post office.

(ii) Undertaking to employ/ engage persons having Certificate of Competency Class-I (Electrical Supervisor) and holder or deemed to be holder of Certificate of Competency Class –II (Electrician) for executing the electrical works and necessary testing instruments required for execution/ testing the work of electrical installation.

(iii) Authorization letter in case of partnership firm/ company.

(iv) Original copy of treasury challan receipt showing the deposit of the prescribed fee/ receipt of online payment fee.

7	**Time period for Grant of Licence to Electrical Contractor.-**	The Licence to Electrical Contractor shall be issued within 7 days on a prescribed Form-B.
8	**Fee for Grant of Licence to Electrical Contractor.-**	The fee for issuance of an Electrical Contractor Licence shall be Rs. 5,000/- (Rs. Five thousand only) and shall be paid through treasury challan in the designated Bank/ online e-payment.
9	**Validity of the Electrical Contractor Licence.-**	The Licence to Electrical Contractor shall be issued initially for a period of twenty five years.
10	**Renewal of Electrical Contractor Licence.-**	The Electrical Contractor Licence shall be renewed thereafter for a period of every ten years.
11	**Fee for renewal of Electrical Contractor Licence.-**	A fee of Rs. 2,500/- (Rs. Two thousand five hundred only) shall be paid by an Electrical Contractor through treasury challan in the designated bank/ online e-payment for renewal of his/her licence.
12	**Amendment in the Electrical Contractor Licence.-**	(i) A licence holder who desires to change in the address of business premises/ shop and change in constitution of firm/ company in his/ her licence shall submit it to the Assistant Electrical Inspector with an application mentioning the nature of the amendment and the reasons thereof. (ii) The fee for the amendment of a licence shall be Rs. 1,000/- (Rs. One thousand only) and shall be paid through treasury challan in the designated Bank/ online e-payment. (iii) Any amendment in the Electrical Contractor Licence shall be made within 3 days from the receipt of application alongwith receipt of treasury challan/ online e-payment.
13	**Issuance of duplicate copy of Electrical Contractor Licence.-**	A duplicate copy of Electrical Contractor Licence granted under these conditions shall be issued within 3 days from the date of receipt of application alongwith receipt of treasury challan/ online e-payment and copy of FIR/ copy of intimation to Police. A fee of Rs. 1,000/- (Rs. One thousand only) shall be deposited for issuance of duplicate copy of Electrical Contractor Licence through treasury challan in the designated bank/ online e-payment.
14	**Issuance of Certificate of Competency Class–I (Electrical Supervisor).-**	(i) Any candidate who possess a Degree/ Diploma or its equivalent qualification in Electrical Engineering/ Electrical and Electronics Engineering/ Power Engineering (Electrical) from any Technical Institute/ Polytechnic/ College or University recognized by All India Council for Technical Education or University Grant Commission with one year/ three years experience in the field of erection, operation, maintenance or testing of electrical installations after passing Degree or Diploma respectively shall be eligible for grant of Certificate of Competency Class-I (Electrical Supervisor). (ii) The candidate shall be a resident of National Capital Territory of Delhi.

15	**Documents required for the issuance of Certificate of Competency Class – I (Electrical Supervisor).-**	(i) Application duly filled in the prescribed Form-C (ii) Self certified copy of Degree/ Diploma in Engineering. (iii) Self certified copy of proof of resident i.e. Driving Licence/ Election Card/ passbook issued by bank or post office. (iv) Self Certified copy of experience certificate. (v) Self certified copy of Aadhaar Card. (vi) Two recent passport size photographs. (vii) Original copy of treasury challan receipt showing deposit of the prescribed fee/ receipt of on-line e-payment.
16	**Fee for issuance of Certificate of Competency Class – I (Electrical Supervisor).-**	A fee of Rs. 1,000/- (One thousand only) shall be deposited by the applicant through treasury challan in the designated Bank/ online e-payment for issue of Certificate of Competency Class – I (Electrical Supervisor). Fee once paid shall not be refunded/ adjusted under any circumstances to any candidate.
17	**Time Period for issuance of Certificate of Competency Class – I (Electrical Supervisor).-**	The Certificate of Competency Class – I (Electrical Supervisor) shall be issued within 7 days after receipt of application alongwith documents and prescribed fees in prescribed Form-D
18	**Validity of the Certificate of Competency Class – I (Electrical Supervisor).-**	The Certificate of Competency Class – I (Electrical Supervisor) so issued shall be valid upto the applicant's age of 65 years.
19	**Issuance of duplicate Certificate of Competency Class – I (Electrical Supervisor).-**	If a Certificate of Competency is lost, on receipt of written application accompanied by a copy of FIR/ copy of intimation to police and two recent passport size photographs and copy of treasury challan/ receipt of online e-payment, issue to the holder a duplicate certificate of competency. The fee for issuance of duplicate certificate of competency shall be Rs. 250/- (Rs. Two hundred fifty only).
20	**Time period for Issuance of duplicate Certificate of Competency Class – I (Electrical Supervisor).-**	The duplicate Certificate of Competency Class – I (Electrical Supervisor) shall be issued within 3 days.
21	**Authorization of Certificate of Competency Class-I (Electrical Supervisor) issued by other States.-**	Any person holding a certificate of Electrical Supervisor granted by any state of the Union of India shall be entitled/ allowed to work as Electrical Supervisor in National Capital Territory of Delhi on getting his certificate endorsed (subject to qualifying educational and experience criteria as mentioned in para –I and II of condition no 14) on payment of fee of Rs. 1,000/- (Rs. One thousand only) through treasury challan in the designated Bank/ online e-payment upto the applicants age of 65 years.

22	**Criteria and validity for Certificate of Competency Class – II (Electrician).-**	A person (i) who have attained the age of 18 years, and (ii) have passed ITI from any recognized Institute of National Capital Territory of Delhi in the trade of Electrician or Wireman or have completed three years Apprenticeship Course through Apprenticeship Advisor, Government of National Capital Territory of Delhi in the trade of Lineman or Wireman or Electrician or multi-skill courses under craftsmen training scheme (one year broad based training course in the Electrical sector of excellence with specialized modular courses of six month duration each in 2nd year) from ITIs, shall be deemed to be a holder of Certificate of Competency Class–II (Electrician). (iii) Validity of the certificate: upto 65 years of age.
23	**Validity of the existing Electrical Contractor Licence/ Certificate of Competency Class-I (Electrical Supervisor) and Class-II (Electrician).-**	(i) The Licence to Electrical Contractor issued, prior to these conditions coming in force, shall remain valid till its expiry date. Thereafter, the licence holder can seek renewal of his/her licence under these conditions. (ii) The Certificate of Competency Class-I (Electrical Supervisor) and Class-II (Electrician) issued prior to these conditions coming in force shall remain valid till their expiry date. Thereafter, the certificate holder may apply for extending the validity of his/her certificate till he/she attains the age of 65 years. Provided further that in case of Certificate of Competency Class-I (Electrical Supervisor) a fee of Rs. 1000/- (Rs. One thousand only) through treasury challan/ online e-payment shall be charged for extending the validity of the Certificate.

Note: 1. For online submission and issuance of Certificate of Competency and Licence to Electrical Contractor, the respective applicant will submit application alongwith documents and fee as prescribed online and the certificate can be downloaded from the website of the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

2. All the above certificates will be issued on the basis of self certified documents submitted by the applicant. No physical verification/ inspection will be carried out for issuing of these certificates/licences.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

Dr. R. C. MEENA, Special Secy. (Labour)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.01 14:25:44 +05'30'